न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 42/2019 – निगरानी

1. पुष्कर माली पुत्र रामपाल माली
तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत उल्लाई
पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. ग्राम पंचायत उल्लाई पचांयत समिति सहाडा जरिये सरपंच
2. ग्राम पंचायत उल्लाई पंचायत समिति सहाडा जरिये सचिव
3. श्रीमती मगनी देवी पत्नी लेहरू लाल जाट निवासी हरिपुरा ग्राम पंचायत उल्लाई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत उल्लाई पटटा संख्या 34 दिनांक 14.01.2013

उपस्थित –

1. श्री महेश दाधीच अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री सुनिल बापना अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15-6-.2020

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत उल्लाई पंचायत समिति सहाडा द्वारा गैर निगराकार श्रीमती मगनी देवी पत्नी लेहरू जाट के पक्ष में दिनांक 14.01.2013 को अन्दर हल्का आबादी में स्थित एक पुश्तैनी मकान का पटटा जारी किया जो विधि होने से अपास्त होने योग्य हैं। विपक्षीया श्रीमती मगनी देवी ने हरिपुरा में स्थित पुश्तैनी मकान का पटटा जारी करने के लिये जिसमें नजरी नक्शे मे 27 बाई 50 फीट कुल माप 150 वर्गगज होना अंकित किया एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थल निरीक्षण भी इन्हीं नाप भुजा का बनाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति सूचना दिनांक 21.11.2012 को निकाली गयी, जिसमें भी कुल माप 150 वर्गगज अंकित की गयी। मौके पर 150 वर्गगज पर मगनी देवी हैं एवं आस पास में अन्य पडौसियों के मकानात बने हुए हैं, लेकिन रिकार्ड कांट छांट करके ओवर राईटिंग करके उत्तरी भुजा को 150 फीट, दक्षिणी भुजा को 150 फीट, पूर्वी भुजा को 37 फीट, पश्चिमी भुजा को 37 फीट कर दिया, जबकि आवेदन 27 बाई 50 वर्गफीट का किया गया तथा पटटा कुल क्षैत्रफल 150 वर्गगज दिया गया, तो नाप 150 बाई 37 वर्गफीट भुजाओं हो ही नही सकता। मौके पर 150 बाई 37 वर्गफीट भूमि उपलब्ध नहीं हैं। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों में निगरानी के लिये कोई लिमिटेशन नहीं हैं तथा उक्त पटटे में कांट फांस की जानकारी दिनांक 01.06.2019 को हुआ। पटटा जारी होने की दिनांक 14.01.2013 से उक्त निगरानी पेश करने मे हुयी देरी के समय को कण्डोन किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर मौके के नाप के विपरीत बने पटटे दिनांक 14.01.2013 को निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 31.07.2018

को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 21.08.2019 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 28.11.2019 को देने हेतु अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। गैर निगराकार सं. 03 के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति सहित जवाब पेश किया।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 10 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत उल्लाई पंचायत समिति सहाडा द्वारा गैर निगराकार श्रीमती मगनी देवी पत्नी लेहरू जाट के पक्ष में दिनांक 14.01.2013 को अन्दर हल्का आबादी में स्थित एक पुश्तैनी मकान का पटटा जारी किया जो विधि होने से अपास्त होने योग्य हैं। विपक्षीया श्रीमती मगनी देवी ने हरिपुरा में स्थित पुश्तैनी मकान का पटटा जारी करने के लिये जिसमें नजरी नक्शे मे 27 बाई 50 फीट कुल माप 150 वर्गगज होना अंकित किया एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थल निरीक्षण भी इन्हीं नाप भुजा का बनाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति सूचना दिनांक 21.11.2012 को निकाली गयी, जिसमें भी कुल माप 150 वर्गगज अंकित की गयी। मौके पर 150 वर्गगज पर मगनी देवी हैं एवं आस पास में अन्य पडौसियों के मकानात बने हुए हैं, लेकिन रिकार्ड कांट छांट करके ओवर राईटिंग करके उत्तरी भुजा को 150 फीट, दक्षिणी भुजा को 150 फीट, पूर्वी भुजा को 37 फीट, पश्चिमी भुजा को 37 फीट कर दिया, जबकि आवेदन 27 बाई 50 वर्गफीट का किया गया तथा पटटा कुल क्षैत्रफल 150 वर्गगज दिया गया, तो नाप 150 बाई 37 वर्गफीट भुजाओं हो ही नही सकता। मौके पर 150 बाई 37 वर्गफीट भूमि उपलब्ध नहीं हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर मौके के नाप के विपरीत बने पटटे दिनांक 14.01.2013 को निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार सं. 03 के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति में बताया कि निगराकार एक लोक सेवक हैं और वर्तमान में ग्राम पंचायत गोवलिया, तहसील सहाडा में सचिव पद पर कार्यरत हैं और निगराकार को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने के लिये पंचायत समिति सहाडा और ग्राम पंचायत उल्लाई ने अधिकृत नहीं किया हैं। निगराकार न तो हितबद्ध पक्षकार हैं न उसकी कोई लोकल स्टेण्डाई ही हैं इसलिए निगरानी प्रथम दृष्टया ही मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है।

गैर निगराकार सं. 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत उल्लाई द्वारा पंचायती राज अधिनियम की धारा 145 से 148 की पूर्ण पालना कर रसीद संख्या 21/3036 दिनांक 08.03.2013 के जरिये जमा कर गैर निगराकार सं. 03 को पुश्तैनी मकान नपति 37 फीट बाई 150 फीट का पटटा संख्या 34 नियमानुसार एवं विधि अनुसार जारी किया गया है। उक्त पटटे का पंजीयन सरपंच ग्राम पंचायत उल्लाई द्वारा गैर निगराकार सं. 03 के पक्ष में दिनांक 10.04.2013 को पंजीयन किया गया। जिसमें उक्त पटटा सं. 34 में भी नपती 37 फीट बाई 150 फीट ही अंकित की गयी व विक्रय विलेख जो स्वयं गैर निगराकार सं. 01 ने तैयार करवाया उसमें भी नपती 37 फीट बाई 150 फीट ही अंकित की गयी जिसमें कोई कांट छांट नहीं हैं। निगराकार ने गैर निगराकार सं. 01 व 02 से मिलकर गैर निगराकार सं. 03 के पडौसी हीरालाल पिता छोगालाल जाट से मिलकर ग्राम पंचायत की पत्रावली को ही बदल दिया और उसने मकान/भूखण्ड की नपती ही बदल दी गयी। गैर निगराकार सं. 03 की पुत्री गीता जाट ने हीरालाल पिता छोगा लाल जाट व अन्य के विरूद्व विभाजन जायदाद एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वादपत्र दिनांक 18.02.2012 को जिला न्यायाधीश महोदय भीलवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी अपील वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित होकर प्रकरण सं. 25/2018 सिविल अपील हैं जिसमें न्यायालय ने स्थगन आदेश भी पारित कर रखा हैं। मौके पर गैर निगराकार सं. 03 का मकान

नपती 30 बाई 145 फीट में बना हुआ हैं व बाकी की जगह खाली पडी हुयी हैं जो गैर निगराकार सं. 03 के अधिकार एवं आधिपत्य में हैं। निगराकार प्रभावी पक्षकार नहीं हैं एवं पूरी निगरानी में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। निवेदन हैं कि निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उल्लाई ने प्रार्थी मगनी देवी पत्नी लेहरू जाट निवासी हरिपुरा द्वारा पुश्तैनी मकान का पटटा बनाने के आवेदन किये जाने पर राजस्थान पंचायती नियम 1996 के नियम 157(2) के अनुसार 200/–रूपये शुल्क लिया जाकर पुराने मकान गृह स्थल 27 बाई 50 वर्गगज यानि 1350 वर्गफीट का पटटा जारी किया गया।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. **जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायंत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।**

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(2) के तहत तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उल्लाई द्वारा पुश्तैनी मकान का पटटा जारी किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि पटटा बही में पटटा संख्या 34 में क्षैत्रफल में कांट छांट दृष्टिगोचर होती हैं एवं गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा 27 बाई 50 वर्गफीट यानि 150 वर्गगज का ही नक्शा आबादी भूमि तलिया में अंकन किया गया हैं, लेकिन कांट छांट पश्चात् भूखण्ड की साईज 37 बाई 150 वर्गफीट किया गया परन्तु कुल क्षैत्रफल 150 वर्गगज ही इन्द्राज जबकि 37 बाई 150 वर्गफीट से कुल क्षैत्रफल 5,550 वर्गफीट यानि 616.6 वर्गगज होता हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे में क्षैत्रफल में कांट छांट की गयी एवं बाद कांट छांट उक्त पटटे का पंजीयन उप पंजीयक सहाडा से दिनांक 10.04.2013 को पंजीयन कराया गया। उक्त पंजीयन में भी कुल क्षैत्रफल 150 वर्ग गज ही हैं। जिस पर सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर हैं।

गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति में बताया कि निगराकार को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नही हैं एवं न ही उक्त निगरानी प्रस्तुत करने के लिये ग्राम पंचायत उल्लई ने अधिकृत किया हैं। ग्राम पंचायत उल्लई ने गैर निगराकार सं. 03 को पुश्तैनी मकान नपती 27 फीट बाई 50 फीट कुल 1350 वर्गफीट यानि 150 वर्गगज का पटटा जारी किया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 अनुसार :– राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति (Intrested) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता हैं। पटटा संख्या 34 में क्षैत्रफल में कांट छांट कर 37 बाई 150 वर्गफीट अंकित कर पटटे दस्तावेज का अधिकार क्षैत्र से अधिक का पंजीयन कराया गया हैं। ग्राम पंचायत उल्लाई के पटटा संख्या 34 दिनांक 14.01.2013 के क्षैत्रफल में कांट छांट की गयी जिससे उक्त पटटा प्रभाव शून्य हो चुका है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा से पटटा संख्या 34 दिनांक 14.01.2013 के क्षैत्रफल में कांट छांट करने के संबंध में जांच कराया जाकर एवं इस प्रकार रिकार्ड में हेराफेरी करने वाले उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्व राजस्थान पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना युक्तियुक्त हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत उल्लाई स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत उल्लाई के पटटा संख्या 34 दिनांक 14.01.2013 के क्षैत्रफल में कांट छांट की गयी जिससे उक्त पटटा प्रभाव शून्य हो चुका है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि पटटा संख्या 34 दिनांक 14.01.2013 के क्षैत्रफल में कांट छांट करने के संबंध में जांच करें एवं इस प्रकार रिकार्ड में हेराफेरी करने वाले उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्व राजस्थान पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी सहाडा एवं निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत उल्लाई पंचायत समिति सहाड़ा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-06-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा।